फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामसहाय बनाम कजोड़ वगै0

न0मु0– 109 / 2023

किस्म मुकदमा– दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वादी की ओर से प्रार्थना पत्र विड्रो दावा पेश की गई है. जिस पर प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र वादपत्र विड्रो किए जाने पर आपत्ति एवं प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री किए जाने के कम में तथा सहमति कुर्रेजात प्रस्ताव पेश किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किए जाने बाबत सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादी अपने वादपत्र को आगे नही चलाना चाहते है इसलिए वादपत्र विड्रो किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादपत्र वादी के द्वारा पेश किया गया था जिसमें प्राथमिक डिकी जारी की जा चुकी है तथा यदि इस स्तर पर वादी का वादपत्र विड्रो किया जाता है तो प्रतिवादीगण को मानसिक एवं आर्थिक क्षति होगी इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में 19.11.2013 को प्राथमिक डिकी जारी की गई तत्पश्चात माननीय न्यायालय आर0 ए0 ए0 महोदय के निर्णय में भी प्राथमिक डिकी को बहाल रखा है एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में भी वादी की अपील अदम हाजिरी में खारिज की जा चुकी है। चूंकि वाद में पूर्व में प्राथमिक डिकी हो चुकी है और माननीय आर0 ए0 ए0 महोदय के निर्णय अनुसार पत्रावली अंतिम डिकी हेतु नियत है इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो दावा पत्रावली में प्राथमिक डिकी जारी होने के कारण आदेश 23 नियम 04 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। पक्षकार रामजीलाल फौत होना अवगत कराया। वास्ते कायमुकाम कार्यवाही दिनांक 07.08.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	